मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खंड XXI अंक 12 मार्च 2026

एमसीआईआर

विषय-वस्तु

खंड	पृष्ठ
I. मौद्रिक नीति	1
II. भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	1
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की 622वीं बैठक	2
IV. विनियमन	2-3
V. द्विपक्षीय समझौते का नवीनीकरण	3
VI. सरकार के लिए ऋण प्रबंधक	3
VII. वित्तीय बाज़ार	3-4
VIII. प्रकाशन	4
IX. जारी आंकड़े	4

संपादक की कलम से

मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फोर्मेशन (एमसीआईआर) के मार्च 2026 के अंक में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय प्रणालियों को सुदृढ़ करने, डिजिटल भुगतान के बारे में जागरूकता बढ़ाने और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने पर प्रकाश डाला गया है। प्रमुख गतिविधियों में डिजिटल भुगतान जागरूकता पहलों की शुरुआत और एक मल्टी-मीडिया जागरूकता अभियान "थोड़ा ध्यान से", भुगतान विज़न 2028 का विमोचन शामिल है, जो भुगतान प्रणालियों के लिए भविष्य की रूपरेखा और भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की 622वीं बैठक में हुई चर्चाओं को रेखांकित करता है।

हम सही जानकारी साझा करने और गहरी समझ बढ़ाने के अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर या क्यूआर कोड स्कैन करके भी देखा जा सकता है। हम mcir@rbi.org.in पर आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं।

ब्रिज राज
संपादक

I. मौद्रिक नीति

मौद्रिक नीति समिति की बैठक की समय- सारणी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 मार्च 2026 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडआई के अनुसार वर्ष 2026-27 की निम्नलिखित तिथियों में मौद्रिक नीति समिति की बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया है:

2026-27 के लिए मौद्रिक नीति समिति की बैठकों की तिथियाँ	
पहली	6-8 अप्रैल 2026
दूसरी	3-5 जून 2026
तीसरी	3-5 अगस्त 2026
चौथी	5-7 अक्तूबर 2026
पाँचवी	2-4 दिसंबर 2026
छठवीं	3-5 फरवरी 2027

II. भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2026

श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर ने दिनांक 9 से 13 मार्च 2026 तक मनाए गए डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह (डीपीएडबल्यू) के छठे संस्करण के भाग के रूप में, 12 मार्च 2026 को 'डिजिटल भुगतान पर जागरूकता कार्यक्रम' नामक पायलट कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

यह पायलट कार्यक्रम महाराष्ट्र में सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की सह-भागीदारी में आयोजित किया जाएगा जिसमें, ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) के माध्यम से, 10 लाख प्रतिभागियों के लिए व्यक्तिगत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस शुभारंभ कार्यक्रम में बोलते हुए, गवर्नर ने डिजिटल भुगतानों में भरोसा बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया तथा ग्राहक जागरूकता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला।

उन्होंने सभी हितधारकों से डिजिटल भुगतानों के अपनाने और उनके उपयोग में जनता के विश्वास को और सुदृढ़ करने के लिए सहयोगात्मक कदम उठाने का आह्वान किया। इस अवसर पर, रिज़र्व बैंक ने एक मल्टी-मीडिया जागरूकता अभियान "थोड़ा ध्यान से" (सावधान रहें / सतर्क रहें) भी शुरू किया, जो उपयोगकर्ताओं को भुगतान तथा ऑनलाइन लेनदेन करते समय सावधान रहने के लिए प्रोत्साहित करता है।

शुभारंभ के बाद, गवर्नर ने चयनित भुगतान प्रणाली प्रचालकों (पीएसओ) के प्रबंध निदेशकों / मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। उप गवर्नर श्री टी. रबी शंकर, डॉ. पूनम गुप्ता और श्री शिरिश चन्द्र मुर्मू तथा रिज़र्व बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।

भुगतान विज़न 2028

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा वर्ष 2001 से आवधिक रूप से भुगतान विज़न तैयार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियों के संरचित विकास के लिए कार्यनीतिक दिशा प्रदान करना शामिल है। इस प्रकार के पिछले दस्तावेज़ में 2025 तक की अवधि का विज़न शामिल था। दिनांक 27 मार्च 2026 को आरबीआई ने दिसंबर 2028 तक की अवधि के लिए 'भुगतान विज़न 2028' जारी किया। यह विभिन्न हितधारकों से प्राप्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और आगामी तीन वर्षों के दौरान की जाने वाली 15 विशिष्ट पहलें इसमें शामिल हैं। विज़न दस्तावेज़ उपयोगकर्ता सशक्तीकरण, धोखाधड़ी के विरुद्ध प्रतिरक्षा को सुदृढ़ करने, अंतरराष्ट्रीय भुगतान ढांचों की दक्षता और कारोबार-सुगमता बढ़ाने आदि पर केंद्रित है।

III. भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की 622वीं बैठक

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की 622वीं बैठक 20 मार्च 2026 को गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में पटना में आयोजित की गई।

बोर्ड ने उभरते वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य, सहित भू-राजनीतिक गतिविधियों की स्थिरता और वित्तीय बाज़ारों पर उनके प्रभाव एवं तत्संबंधी चुनौतियों का आकलन किया। बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बैंक के बजट और 2026-29 की अवधि के लिए बैंक की मध्यम-अवधि कार्यनीतिक रूपरेखा (उत्कर्ष 3.0) को मंजूरी दी।

उप गवर्नर श्री टी. रबी शंकर, श्री स्वामीनाथन जे, डॉ. पूनम गुप्ता, श्री शिरिश चंद्र मुर्मू और केंद्रीय बोर्ड के अन्य निदेशक - सुश्री अनुराधा ठाकुर, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग; श्रीमती रेवती अय्यर, प्रो. सचिन चतुर्वेदी और डॉ. रवींद्र एच. धोलकिया – बैठक में शामिल हुए।

IV. विनियमन

आरबीआई ने 'डिजिटल लेनदेन में ग्राहक की देयता को सीमित करने संबंधी ढांचे की समीक्षा' के लिए संशोधन निदेश का मसौदा जारी किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, वर्ष 2017 में मौजूदा निदेशों के जारी होने के बाद से डिजिटल भुगतान और बैंकिंग परिदृश्य में हुए बदलाव को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 6 मार्च 2026 को अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता को सीमित करने संबंधी अनुदेशों में संशोधन किया। समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया कि बैंकों को संशोधित अनुदेश जारी किए जाएं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, विशेष रूप से मौजूदा अनुदेशों के दायरे को बढ़ाकर उनमें अन्य धोखाधड़ी-युक्त इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेनों की श्रेणियों को शामिल करना, ऐसे लेनदेनों से संबंधित शिकायतों के निपटान में बैंकों द्वारा लिए जाने वाले समय को कम करना और छोटे मूल्य के धोखाधड़ी-युक्त इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेनों के लिए एक मुआवज़ा तंत्र शुरू करना शामिल है। तदनुसार, 6 फरवरी 2026 के विकासात्मक एवं विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने जन-सामान्य की टिप्पणियों के लिए संशोधन निदेशों का मसौदा जारी किया है, जिनके माध्यम से रिज़र्व बैंक के विनियमन विभाग द्वारा जारी मौजूदा दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण संबंधी निदेशों में संशोधन करने का प्रस्ताव है। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

आरबीआई ने 'एनबीएफसी/एआरसी के लिए स्वाधिकृत निधि/ टियर-1 पूंजी की गणना के संबंध में स्पष्टीकरण तथा ऋण/निवेश संकेंद्रण मानदंडों पर इसकी प्रयोज्यता' संबंधी संशोधन निदेश जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 मार्च 2026 को 'एनबीएफसी/एआरसी के लिए स्वाधिकृत निधि/ टियर-1 पूंजी की गणना के संबंध में स्पष्टीकरण तथा ऋण/निवेश संकेंद्रण मानदंडों पर इसकी प्रयोज्यता' संबंधी संशोधन निदेश जारी किए । उक्त संशोधन निदेशों से पहले इनके मसौदे जारी किए गए थे, जिनका उद्देश्य एनबीएफसी के अनुरोधों के परिणामस्वरूप, संबंधित प्रावधानों, निदेशों और दिशानिर्देशों की समीक्षा के बाद प्रस्तावित स्पष्टीकरणों और संशोधनों को शामिल करना था। रिज़र्व बैंक द्वारा इन्हें उपयुक्त रूप से संशोधित करते हुए अंतिम रूप दिया गया है और इस संबंध में प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने पूंजी पर्याप्तता, संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन, आवास वित्त कंपनियों, कोर निवेश कंपनियों, बंधक गारंटी कंपनियों, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों और एकल प्राथमिक व्यापारियों पर विवेकपूर्ण मानदंडों को शामिल करने वाले संशोधन निदेश जारी किए हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

आरबीआई ने 'प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम – संभावित भावी एक्स्पोज़र की गणना के लिए अतिरिक्त कारक' संबंधी संशोधन निदेश जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 मार्च 2026 को 'प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम – संभावित भावी एक्स्पोज़र की गणना के लिए अतिरिक्त कारक' संबंधी संशोधन निदेश, 20 अगस्त 2025 को इस संबंध में जारी परिपत्र के मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रिया की समीक्षा के उपरांत, जारी किए। संशोधन निदेश प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम (सीसीआर) ढांचे में संशोधन करते हैं और यह स्पष्टीकरण देते हैं कि इक्विटी और कमोडिटी डेरिवेटिव्स खंडों में सेबी स्वीकृत शेयर बाज़ारों के समाशोधन सदस्यों के रूप में कार्य करने वाले बैंकों को सीसीआर के लिए पूंजी शुल्क का रखरखाव करना आवशक होगा। उक्त संशोधन निदेश ब्याज दर संविदाओं तथा विनियमन दर संविदाओं और स्वर्ण की चालू एक्सपोजर पद्धति (सीईएम) के अंतर्गत संभाव्य भावी एक्सपोजर (पीएफ़ई) की गणना के अतिरिक्त कारकों को बासेल बैंकिंग पर्यवेक्षण समिति (बीसीबीएस) मार्गदर्शिकाओं के साथ मुख्य रूप से संरेखित करते हैं। अंतिम संशोधन निदेश में, जिसमें प्राप्त-प्रतिक्रिया को एक वक्तव्य के साथ अनुलग्नक में दिया गया है, व्यावसायिक बैंकों, छोटे वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफ़आई) को शामिल किया गया है। उक्त निदेशों का उद्देश्य विनियमित संस्थाओं को स्पष्टता प्रदान करना और सीईएम ढांचे को अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करना है। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

आरबीआई ने विनियमित संस्थाओं द्वारा लाभांश की घोषणा और लाभ के विप्रेषण संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों पर निदेश जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, 6 जनवरी 2026 को जारी निदेशों के मसौदे पर प्राप्त-प्रतिक्रिया की समीक्षा के बाद, 10 मार्च 2026 को विभिन्न बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा और लाभ के विप्रेषण संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों पर निदेश जारी किए। प्रतिक्रिया को उपयुक्त संशोधनों के साथ अंतिम निदेशों में शामिल किया गया है तथा उक्त प्रतिक्रिया का उल्लेख एक वक्तव्य के साथ अनुलग्नक में दिया गया है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने व्यावसायिक बैंकों, छोटे वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शामिल करते वाले पांच मास्टर निदेश, चार निरसन निदेशों और एक संशोधन मार्गदर्शिका जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य मौजूदा निदेशों में संशोधन करना है। उक्त निदेश वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रभावी होंगे, जबकि लाभांश की घोषणा और लाभ के विप्रेषण संबंधी मौजूदा मानदंड वित्तीय वर्ष 2025-26 तक मान्य रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

V. जापान और भारत के बीच द्विपक्षीय स्वैप समझौते का नवीनीकरण

जापान और भारत ने 28 फरवरी 2026 से प्रभावी द्विपक्षीय स्वैप समझौता (बीएसए) को नवीकृत किया। दि बैंक ऑफ जापान, जो वित्त मंत्री, जापान के एजेंट के रूप में कार्य करता है और भारतीय रिज़र्व बैंक ने बीएसए के तीसरे संशोधन और पुनर्कथन समझौता पर हस्ताक्षर किए। बीएएसए एक दोतरफा व्यवस्था है जहां दोनों प्राधिकारी अमरीकी डॉलर के बदले में अपनी स्थानीय मुद्राओं को स्वैप कर सकते हैं। बीएसए का आकार 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक यथावत् रहा।

जापान और भारत का मानना है कि अन्य वित्तीय सुरक्षा जाल को मजबूत और पूरक बनाने के उद्देश्य से बीएसए दोनों देशों के बीच वित्तीय सहयोग को और गहन बनाएगा तथा क्षेत्रीय और वैश्विक वित्तीय स्थिरता में योगदान देगा।

व्यापार राहत उपाय

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 2026 को निदेश जारी किए, जिनमें कहा गया है कि निर्यातित वस्तुओं की पूर्ण निर्यात-मूल्य प्राप्ति एवं प्रत्यावर्तन की समय-सीमा का नौ माह की अवधि से पंद्रह माह की अवधि तक किया गया अवधि-विस्तार जारी रहेगा और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और ढुलाई-संबंधी व्यवधानों को ध्यान में रखते हुए, 450 दिन की अवधि तक बढ़ा दी गई निर्यात ऋण अवधि 30 जून 2026 तक किए गए संवितरणों पर लागू होगी। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक (व्यापार राहत उपाय) निदेश, 2026 जारी किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

VI. सरकार के लिए ऋण प्रबंधक

अस्थिर दर वाले बॉण्ड 2033

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, 22 मार्च 2026 से 21 सितंबर 2026 तक की छमाही के लिए भारत सरकार के अस्थिर दर वाले बॉण्ड 2033 (जीओआई एफ़आरबी 2033) पर ब्याज दर की घोषणा की। घोषणा के अनुसार, जीओआई एफ़आरबी 2033 पर ब्याज दर 6.75 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

भारत सरकार के लिए अर्थोपाय-अग्रिम सीमा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम छमाही (अप्रैल–सितंबर 2026) के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमा ₹2,50,000 करोड़ होगी।

जब भारत सरकार अर्थोपाय अग्रिम सीमा के 75 प्रतिशत का उपयोग कर लेगी तब भारतीय रिज़र्व बैंक नए बाज़ार ऋणों को जारी कर सकता है। अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर निम्नानुसार होगी:

i. अर्थोपाय अग्रिम: रेपो दर

ii. ओवरड्राफ्ट: रेपो दर से दो प्रतिशत अधिक। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करे।

विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियां

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारत सरकार के परामर्श से, वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली छमाही (1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026) के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड (एसजीआरबी) सहित सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु सांकेतिक कैलेंडर जारी किया। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

खजाना बिलों की नीलामी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से 27 मार्च 2026 को जून 2026 तिमाही के लिए खजाना बिलों के निर्गमन का कैलेंडर जारी किया। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

VII. वित्तीय बाज़ार

आरबीआई ने वित्तीय बाज़ारों में विशिष्ट अभिज्ञापकों पर 'मास्टर निदेश' जारी किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, वैध इकाई अभिज्ञापक (एलईआई) और विशिष्ट लेन-देन अभिज्ञापक (यूटीआई) से संबंधित पूर्व के निदेशों को समेकित करते हुए, 27 मार्च 2026 को वित्तीय बाजारों में विशिष्ट अभिज्ञापकों पर 'मास्टर निदेश' जारी किए। एलईआई और यूटीआई, ओटीसी डेरिवेटिव लेन-देन की रिपोर्टिंग के लिए विश्व स्तर पर पहचाने गए मुख्य डेटा तत्व हैं। जहां एलईआई किसी लेनदेन के प्रतिपक्षों की विशिष्ट पहचान करता है, वहीं यूटीआई लेनदेन के लिए एक अद्वितीय संदर्भ संख्या के रूप में कार्य करता है। पिछले कुछ वर्षों में, रिज़र्व बैंक ने ऐसे अनुदेश जारी किए हैं, जिनके तहत रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाज़ारों में होने वाले लेन-देन के लिए एलईआई की रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दी गई है। ओटीसी डेरिवेटिव लेन-देन के लिए यूटीआई को अनिवार्यतः लागू करने संबंधी अनुदेश भी जारी किए गए थे। उपर्युक्त अनुदेशों को अब वित्तीय बाज़ारों में विशिष्ट अभिज्ञापकों पर मास्टर निदेश में समेकित कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य विनियामक निदेशों की सुलभता को बेहतर बनाना और कारोबार करने में सुगमता लाना है। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

आरबीआई ने पूंजी बाज़ार एक्सपोजर संबंधी संशोधन निदेशों के कार्यान्वयन को 1 जुलाई 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक परामर्श के तहत प्राप्त प्रतिक्रिया पर उचित विचार करने के बाद, 13 फरवरी 2026 को 'पूंजी बाज़ार एक्सपोज़र' संबंधी संशोधन निदेशों को अंतिम रूप देकर जारी किया। इन संशोधन निदेशों का मुख्य उद्देश्य (i) बैंकों को भारतीय कॉर्पोरेट्स द्वारा अधिग्रहण के लिए वित्तपोषण हेतु एक सक्षम ढांचा प्रदान करना; (ii) शेयरों, REITs, InvITs आदि की यूनिटों के बदले व्यक्तियों को बैंकों द्वारा ऋण देने की सीमाओं को युक्तिसंगत बनाना; और (iii) पूंजी बाज़ार मध्यस्थों (सीएमआई) को ऋण देने के लिए अधिक सिद्धांत-आधारित ढांचा स्थापित करना था। ये संशोधन निदेश 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होने थे। इसके बाद, रिज़र्व बैंक को बैंकों, सीएमआई और विभिन्न उद्योग संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्रभावी तिथि को आगे बढ़ाने और स्पष्टीकरण के लिए कुछ परिचालन और व्याख्यात्मक मुद्दों का उल्लेख किया गया है। हितधारकों के साथ की गई चर्चाओं और समीक्षा के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि उक्त संशोधन निदेशों की प्रभावी तिथि को तीन महीने बढ़ाकर 1 जुलाई 2026 तक कर दिया जाए। इसके अलावा, संशोधन निदेशों में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य अधिग्रहण वित्त और पूंजी बाज़ार मध्यस्थों के प्रति

एक्सपोजरों से संबंधित कुछ प्रावधानों को स्पष्ट करना है। मुख्य स्पष्टीकरण निम्नानुसार हैं:

क. अधिग्रहण वित्त संबंधी निदेशों पर स्पष्टीकरण

ख. वित्तीय आस्तियों के बदले ऋण संबंधी अनुदेशों पर स्पष्टीकरण

ग. सीएमआई को ऋण सुविधाओं से संबंधित निदेशों पर स्पष्टीकरण

अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

VIII. प्रकाशन

आरबीआई बुलेटिन – मार्च 2026

रिज़र्व बैंक ने 23 मार्च 2026 को अपने मासिक बुलेटिन का मार्च 2026 अंक आज जारी किया। इस बुलेटिन में तीन भाषण, एक आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं।

उक्त तीन भाषण निम्नानुसार हैं:

1. सुदृढ़ वित्त, समर्थ नेतृत्व : विकसित भारत@2047 की राह पर – श्री स्वामीनाथन जे.
2. समावेशी वित्त और सतत विकास के लिए डिजिटलीकरण : अगले चरण की प्राथमिकताएँ- श्री स्वामीनाथन जे.
3. भारत की संवृद्धि के परिप्रेक्ष्य : पिछले चार दशकों से वर्तमान तक – डॉ. पूनम गुप्ता

बुलेटिन में शामिल आलेख अर्थव्यवस्था की स्थिति पर है।

अर्थव्यवस्था की स्थिति

मध्य-पूर्व में संघर्ष और अमेरिका द्वारा की जा रही नई व्यापार-जांचों के परिणामस्वरूप वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई है। वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी के दूसरे अग्रिम अनुमान दर्शाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था सतत रूप से आघात-सह बनी हुई है। उच्च आवृत्ति संकेतकों के अनुसार फरवरी में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है। खाद्य और पेय पदार्थों के कारण फरवरी में सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई। प्रणालीगत-चलनिधि पर्याप्त बनी हुई है और बैंक तथा गैर-बैंक, दोनों स्रोतों से वित्तपोषण बढ़ने के कारण, वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों का कुल प्रवाह बढ़ गया है। भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त बना हुआ है।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

IX. जारी आंकड़े

मार्च 2026 के महीने के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण आंकड़े निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	शीर्षक
1	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए पर्यवेक्षी आंकड़े गुणवत्ता सूचकांक (दिसंबर 2025)
2	गैर-सरकारी गैर-वित्तीय पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के वित्त, 2024-25
3	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण और जमा दरें – मार्च 2026
4	2025-26 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के लिए भारतीय अदृश्य-प्राप्तियों संबंधी आंकड़े
5	फरवरी 2026 माह के लिए भारत के सेवा-क्षेत्र संबंधी अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर मासिक आंकड़े
6	भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी), दिसंबर 2025
7	बैंक ऋण का क्षेत्रवार वितरण – फरवरी 2026
8	भारत में, 15 मार्च 2026 के अनुसार अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण
9	फरवरी 2026 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
10	आरबीआई ने जनवरी 2026 के लिए ईसीबी/ एफ़सीसीबी/ आरडीबी पर आंकड़े जारी किए
11	अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में घट-बढ़ के स्रोत
12	2025-26 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के दौरान भारत के भुगतान संतुलन संबंधी परिवर्तन

मॉनेटरी एंड क्रेडिट इन्फर्मेशन रिव्यू के संबंध में स्वामित्व और अन्य विवरणों के बारे में विवरण फॉर्म IV

प्रकाशन का स्थान	मुंबई
प्रकाशन की आवधि	मासिक
संपादक, प्रकाशक और मुद्रक का नाम	श्री ब्रिज राज
राष्ट्रीयता	भारतीय
पता	भारतीय रिज़र्व बैंक संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई 400001
उन व्यक्तियों के नाम और पते जिनके पास समाचार पत्र का स्वामित्व है	भारतीय रिज़र्व बैंक संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई 400001

मैं, ब्रिज राज, एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

ह/-

ब्रिज राज

प्रकाशक का नाम

31 मार्च 2026

श्री ब्रिज राज द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।